



**डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow**

Office : Mohaan Road, Lucknow - 226 017, Website : <http://dsmru.up.nic.in>

**कार्यालय-ज्ञाप**

परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 19.12.2024 के निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-9/17 के उप बिन्दु संख्या-02 में विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन, 2020 के बिन्दु संख्या-3.9 के अन्तर्गत पैरा-4 में विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अधीन लिखित परीक्षा में 75 अंकों वाले प्रश्न-पत्रों में खण्ड-अ, खण्ड-ब एवं खण्ड-स में अधिकतम शब्द सीमा में संशोधन किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्धारित शब्द सीमा की बाध्यता को समाप्त करते हुए प्रश्नों के अंकों के निर्धारण करने एवं उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार उचित शब्द सीमा में लिखे गये उत्तर पर अंक प्रदान किये जाने कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा समिति की उक्त बैठक के बिन्दु संख्या-5/17 में निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी जो बिना किसी सूचना के 03 दिन से अधिक कक्षाओं से अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विभागीय स्तर से उनके अभिभावको (माता/पिता) को सूचना प्रेषित की जाये।

उपरोक्तानुसार परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डॉ0 अमित कुमार राय)  
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक **208-535** /COE-31(II)/ DSMNRU/ परीक्षा समिति /2024-25

दिनांक:- **03**, जनवरी, 2025

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक, विश्वविद्यालय।
4. समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
5. सम्बन्धित अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. परीक्षा विभाग के समस्त प्रकोष्ठ एवं अनुभाग को अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाइल।

(डॉ0 अमित कुमार राय)  
परीक्षा नियंत्रक